

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय-आदेश::

निम्नांकित कार्मिकों को उनके आवेदन एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, नागौर, जालौर, धौलपुर, राजसमंद, बासंवाडा एवं भरतपुर की अभिशंषा पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा/महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से बी.एड. पत्राचार पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 एवं 2019-21 के अन्तर्गत सत्र (2019-20 द्वितीय वर्ष एवं 2019-21 प्रथम वर्ष) कि स्वयं के व्यय पर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०स०	जिला	नाम कार्मिक पद	पदस्थापन स्थान
1.	नागौर	श्रीमती नीलकमल,अ.	राउप्रावि,फतेहसर नागौर
2.	जालौर	महेशाराम,अध्यापक	राउप्रावि, बडसम प.स सांचौर
3.	जालौर	प्रियंका,अ.	राउप्रावि,रूडा का गोलिया,सांचौर
4.	जालौर	धेवाराम,अ.	राप्रावि,वनाणियाँ की ढाणी खिरोडी
5.	जालौर	सुभाष चन्द्र यादव,अ.	राउप्रावि,प्रजापति नगर सांचौर
6.	जालौर	श्री जैसाराम,अ.	राप्रावि भीलो की सैली प.स. चितलवाना
7.	धौलपुर	चन्द्रकांता,अ.	राउप्रावि,डोंगरपुर,सादिकपुर धौलपुर
8.	धौलपुर	अतुल कुमार गोयल,अ.	राउप्रावि,दिनकटा बसेडी
9.	राजसमंद	देवेन्द्र कुमार जांगिड,अ.	राशिकप्रावि कोयलासेवन्त्री प.स. कुम्भलगढ
10.	राजसमंद	दामोदर प्रसाद वैष्णव	राप्रावि,नेगदरिया
11.	राजसमंद	सुनील,अ.	राउप्रावि,बोरड
12.	बासंवाडा	श्री पंकज कुमार डामोर	राप्रावि,नाथपुरा
13.	भरतपुर	ममता कुमारी,अ.	राउप्रावि,सामरी रूपवास

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
2. आशार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुज्ञा कमी भी समाप्त की जा सकती है।
3. पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा, तथा किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
4. कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. सत्र 2020-21 हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आज्ञा से
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-4/पत्रा.बीएड.अनु/समस्त.म/2019/
प्रतिलिपी:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक:- 06/11/19

1. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा, नागौर,जालौर,धौलपुर,राजसमंद,बासंवाडा एवं भरतपुर
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,समग्र शिक्षा अभियान.....।
3. पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,.....।
4. संबंधित अध्यापक राप्रावि/राउप्रावि,..... जिला
5. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर